

BAKHT: (a) Works relating to the main building and other connected items concerning the Parliament House Annex were sanctioned between 1968 and 1975, through different estimates totalling upto Rs. 2,30,52,901. The total expenditure on the works is, however, expected to be Rs. 3,75,00,000.

The main reasons for increase are:—

- (i) increase in the material and labour cost;
- (ii) additional items of work and additional amenities; and
- (iii) change in specifications during the execution of work.

(b) The amount of original estimate was Rs. 32,87,831 (including Departmental Charges). The expenditure upto March 1977 was Rs. 25,95,138 (including Departmental Charges). The variation is not large.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1260/77].

(d) No, Sir.

(e) Grounds have not come to light to warrant enquiry.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेवर परिवार

2519. श्री अविराम धर्मल : क्या वित्तीय और आवास तथा इर्सिटेशन और पुनर्वास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1977 को देश के प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेवर परिवारों की संख्या क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उपर्युक्त परिवारों के लिये मकानों की कमी के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के कितने परिवारों के लिये मकानों का निर्माण किया गया है ;

(घ) ज्ञानों का आवंटन तथा स्थल पर कञ्चा किये जाने वाले परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में बेवर लोगों को बसाने के लिए क्या वित्तीय उपाय किये गये हैं और इस सम्बन्ध में कितनी घनराश व्यव की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ङ) : अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए आवास की कमी का कोई विशिष्ट अनुमान तैयार किया गया है।

आवास राज्य का विषय है और राज्यों को सभी राज्य सेवा योजनाओं (आवास योजनाओं सहित) के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित अनुदान' तथा 'समेकित ऋण' के रूप में दी जा रही है।

इसके अलावा, राज्य सेवा में विभिन्न जातियों के कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान बनाने के लिए राज सहायता देने की एक योजना है।

जिन परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं उनकी संख्या का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य जिन अनुसूचित क्षेत्र का नाम जातियों/अनुमूलिक जन जातियों के परिवारों को आवास स्थल दिए गए हैं, उनकी संख्या

राज्य

1. आनंद प्रदेश	व्यौरे प्राप्त नहीं हुए
2. असम	7,834
3. बिहार	व्यौरे प्राप्त नहीं हुए
4. गुजरात	1,51,921
5. हरियाणा	1,36,130
6. हिमाचल प्रदेश	2,556
7. जम्मू व कश्मीर	व्यौरे प्राप्त नहीं हुए
8. कर्नाटक	2,59,727
9. केरल	28,760
10. मध्य प्रदेश	4,54,862
11. महाराष्ट्र	1,63,800
12. उड़ीसा	31,278
13. पंजाब	*
14. राजस्थान	6,11,820
15. तमिल नाडु	व्यौरे प्राप्त नहीं हुए
16. त्रिपुरा	व्यौरे प्राप्त नहीं हुए
17. उत्तर प्रदेश	9,93,816
18. पश्चिम बंगाल	1,77,787

1	2	3
---	---	---

संघ राज्य शब्द

1. अण्डमान तथा निकोबार	कुछ नहीं द्वीपमूह
2. चण्डीगढ़	13
3. दादर तथा नागर	715 इंडियनी
4. दिल्ली	5,934
5. गोदावरी, दमण तथा दीव	318
6. पांडुचेरी	1,138

*इस राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आवंटित आवास-स्थलों के पृष्ठक आंकड़े नहीं रख रहे हैं क्योंकि इस योजना में आवास स्थलों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों में कोई अन्तर नहीं है। तथापि, राज्य सरकार का अनुभान है कि जिन परिवारों को आवास-स्थल दिये गए हैं उनमें से लगभग 75 प्र० श० परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। इस आधार पर पंजाब में अनुसूचित जाति/जनजाति के लगभग 2.25 लाख परिवारों को आवास-स्थल दिए गए हैं।

आलू का उत्पादन

2520. श्री राम भाल राही : क्या हृषि और सिंधाई भंडी यह बढ़ाने की कृषा करेंगे कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

हृषि और सिंधाई भंडी (श्री सुरजीत सिंह बर्माला) : रोग मुक्त आलू के दीजों की सफ्लाई, उत्पादन बढ़ाने का एक अत्यंत